भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 405

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वर्ष 1985 के कनिष्क बम विस्फोट पर जांच की स्थिति

405. **श्री कार्तिकेय शर्माः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1985 के कनिष्क बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच और अभियोजन के संबंध में कनाडा सरकार और अन्य भागीदारों के साथ भारत के संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि बम विस्फोट के सभी दोषियों को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाए; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है कि कनाडा सरकार को अपराधियों की जांच या उनके अभियोजन में किसी भी कथित चूक के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से ग) ए.आई.-182 'कनिष्क' बम विस्फोट की योजना और इसका क्रियान्वयन 1985 में कनाडा में किया गया था। इस नृशंस हमले में 329 निर्दोष लोगों (अधिकांशतः भारतीय मूल के) की जान चली गई, जिनमें 24 भारतीय नागरिक भी शामिल थे।

मई 2006 में, कनाडा सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य (क) बम विस्फोट से जुड़ी घटनाओं, (ख) बाद में संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई जांच, तथा (ग) कनाडा की सुरक्षा और खुफिया प्रणाली में खामियों की पहचान करना था।

बम विस्फोट के लगभग 25 वर्ष बाद, 16 जून 2010 को कनाडा सरकार को जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसका शीर्षक,**'एयर इंडिया फ्लाइट 182: एक कनाडाई त्रासदी'** था, जिसमें त्रासदी से पहले और बाद में की गई कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की थी। आयोग ने बमबारी के समय की गई कई गलतियों की पहचान की, जिनमें पीड़ितों के परिवारों के साथ किए गए व्यवहार से संबंधित गलतियाँ भी शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ आयोग के कुछ जाँच-परिणाम, इस प्रकार हैं:

- कनाडा की सरकारी एजेंसियों के पास महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसको शामिल करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि फ्लाइट एआई-182 पर जून 1985 में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा बमबारी किए जाने का बहुत अधिक खतरा था।

- कनाडा सरकार की एजेंसियां खालिस्तान समर्थक उग्रवाद के खतरे के स्वभाव और गंभीरता को समझने में विफल रहीं।

- कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा (सीएसआईएस) की निगरानी प्रभावपूर्ण नहीं थी।

- तोड़फोड़ के खतरे के बारे में जानकारी होने के बावजूद, ट्रांसपोर्ट कनाडा और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आर सी एम पी) प्रोटेक्टिव पुलिसिंग ने अपहरण विरोधी सुरक्षा उपायों पर भरोसा जारी रखते हुए गंभीरता में कमी दिखाई, जिससे बमबारी के खतरे का समाधान नहीं हो पाया।

- हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में आरसीएमपी के भीतर तथा आरसीएमपी, ट्रांसपोर्ट कनाडा और एयरलाइनों के बीच सहयोग और संचार की कमी थी।

इस मामले में एकमात्र दोषी श्री इंद्रजीत सिंह रेयात थे। 20 वर्ष की सज़ा काटने के बाद उन्हें 2016 में कनाडा की जेल से रिहा किया गया था। इस कायराना कृत्य के अन्य सह-षड्यंत्रकारी या तो मारे जा चुके हैं या सबूतों के अभाव में अधिकांशतः दंडित नहीं हो पाए हैं।

23 जून 2010 को, त्रासदी के पीड़ितों के लिए 25वीं वर्षगांठ के स्मारक समारोह में, कनाडा के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने कनाडा सरकार और सभी कनाडाई लोगों की ओर से पच्चीस साल पहले की संस्थागत विफलताओं और उसके बाद पीड़ित परिवारों के साथ किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी।

हर वर्ष 23 जून को ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग तथा टोरंटो और वैंकूवर स्थित भारतीय महाकोंसलावास,पीड़ितों के परिवार के सदस्यों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में इस जघन्य आतंकवादी कृत्य के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इस नृशंस आतंकवादी कृत्य से मिले सबक के बावजूद, कनाडा सरकार ने हिंसक चरमपंथियों और अलगाववादियों को चार्टर फ्रीडम के नाम पर अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए जगह प्रदान की है। पिछले वर्ष, हमने देखा कि कनाडा सरकार ने पहली बार कट्टरपंथी तत्वों को उन सभी स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी, जहां हमारे उच्चायोग और कोंसलावास हमले के पीड़ितों के सम्मान में स्मारक गतिविधियां आयोजित कर रहे थे। ऐसी घटनाएं कनाडा की कानूनी और न्याय प्रणाली में विश्वास को कमजोर करती हैं और भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर डालती हैं।

हमने लगातार दोहराया है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला कोई भी कृत्य, जिसमें 1985 में एआई-182 'कनिष्क' पर बमबारी भी शामिल है, निंदनीय है और सभी शांतिप्रिय देशों और लोगों द्वारा इसकी निंदा की जानी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कनाडा के प्राधिकरण खालिस्तान समर्थक समूहों को त्यौहारों के दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले बैनरों और पोस्टरों के माध्यम से एआई-182 पर बमबारी का गुणगान करने की अनुमति देते हैं।

पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस वीभत्स त्रासदी के दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के संबंध में भारत सरकार का दीर्घकालिक रुख सर्वविदित है।

1 जुलाई 2024 को राज्य सभा में एआई -182 के पीड़ितों के लिए एक मिनट का मौन रखा गया। इस घटना पर माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि: "दुर्भाग्यवश इन मामलों में कभी भी पूर्ण न्याय नहीं मिल सका। ऐसी घटनाएं इस बात की गंभीरता को दोहराती हैं कि विश्व को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों दिखानी चाहिए। इस तरह के कृत्यों को कभी भी किसी भी बहाने से माफ या उचित नहीं ठहराया जा सकता या समर्थन नहीं दिया जा सकता है।"
